55

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

संख्या- 364-विनि-23/राविप-93-10रेगु/88 दिनांक : 26.11.93

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों की सेवा विनियमावली को परिषद जब तक अन्तिम रूप प्रदान नहीं कर देते तब तक अनुभाग अधिकारी, अनु-सचिव, उप-सचिव, संयुक्त सचिव एवं अपर सचिव के चयन की पात्रता का क्षेत्र, चयन समिति का गठन एवं पदोन्नति का मापदण्ड निम्नवत् होगा :-

क्र0 सं0	पदनाम	पात्रता का क्षेत्र	चयन समिति का गठन	पदोन्नति का मापदण्ड
1	2	3	4	5
1.	अनुभाग अधिकारी	स्थायी प्रवर वर्ग सहायकों में से जिन्होंने उस पद पर 9 वर्ष की सेवा कर ली हो।	1. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद 2. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद द्वारा नामित परिषद के दो पूर्णकालिक सदस्य	चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।
2.	अनु-सचिव	स्थायी अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस पद पर 5 वर्ष की सेवा कर ली हो।	1. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद 2. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद द्वारा नामित परिषद के दो पूर्णकालिक सदस्य	चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।
3.	उप-सचिव	स्थायी अनु-सचिवों में से पदोन्नति द्वारा।	1. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद 2. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद द्वारा नामित परिषद के दो पूर्णकालिक सदस्य	चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।
4.	संयुक्त सचिव	स्थायी उप-सचिवों में से पदोन्नति द्वारा	1. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद 2. सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी 3. सचिव (वित्त) उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी 4. परिषद के वरिष्ठतम पूर्णकालिक अभियन्त्रण सदस्य 5. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई एक अन्य परिषद [illegible]	चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।

सं0- 363-॥।॥विनि-23/राविप-93-3विनि/93 तद्दिनांक । 26.11.93

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर सचिव ॥प्रथम॥, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. संयुक्त सचिव ॥स0प्र0॥, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
3. उप-सचिव॥सचिवालय प्रशासन॥, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4. परिषद सचिवालय संवर्ग के समस्त निजी सचिव/अनुभाग ।
5. बैठक सहायक

आज्ञा से,

(एल0पी0 श्रीवास्तव)

॥एल0पी0 श्रीवास्तव॥
उप-सचिव

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
"शक्ति भवन", 14-अशोक मार्ग
लखनऊ।

(8)

संख्या-19-ज0शा0-08/पाकालि/2000 — दिनांक-04 फरवरी, 2000

कार्यालय-ज्ञाप
==========

उत्तर प्रदेश सरकार, ऊर्जा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-149/पी-1/2000 दिनांक-14.01.2000 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम-2000 के लागू होने पर तद्द्वारा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अधिकारियों के उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अन्तरण के फलस्वरूप उनके निम्न पदनामों को उनके सम्मुख दिए गए नए पदनामों में परिवर्तन किये जाने के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम सं0	पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद के पदनाम	वेतनमान (रूपये)	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में परिवर्तित पदनाम
1	2	3	4
1-	महानिदेशक/मुख्य अभियन्ता (स्तर-I)/ महाप्रबन्धक/मुख्य नियन्त्रक (लेखा)/ अध्यक्ष (सेवा आयोग)	21,350-23,975	मुख्य महाप्रबन्धक
2-	अपर सचिव/प्रधान निदेशक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/ नियन्त्रक/महानिदेशक (ऊर्जा क्रय)/ मुख्य अभियन्ता (स्तर-II)	18,400-22,400	महाप्रबन्धक
3-	निदेशक (कार्मिक)	18,400-22,400	महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध)
4-	अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी/ वित्तीय परामर्शी एवं मुख्य लेखाधिकारी/ मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी/मुख्य लागत लेखाधिकारी/निदेशक/मुख्य कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ औद्योगिक विधि अधिकारी/संयुक्त सचिव/सचिव (सेवा आयोग)/ सदस्य (सेवा आयोग)।	16,400-20,000	उप महाप्रबन्धक

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माने जायेंगे।

हस्ताक्षर/04.02.2000
(भुवन चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)

संख्या-19-(1)ज0 शा0-08/पाकालि/2000, तद्दिनांक-04 फरवरी, 2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जलविद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ।

क्रमशः ...

आदेश सं0- 19-जं0शा0 ।08 ।/पाकालि/2000, दिनांक-04.02.2000 का शेष भाग:-

4- निदेशक ।पारेषण।/।वितरण।/।वित्त।/।कारपोरेट प्लानिंग।, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ ।
5- महानिदेशक ।इक्वेटर।/।पीपीए।/एच0आर0डी0, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता ।जल विद्युत।, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
7- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
8- मुख्य अभियन्ता ।जाँच समिति।, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
9- मुख्य नियन्त्रक ।लेखा सम्प्रेक्षा।, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
10- मुख्य अभियन्ता ।वितरण।, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, मध्यांचल-लखनऊ/पश्चिमांचल-मेरठ/पूर्वांचल-वाराणसी ।
11- समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ।
12- महाप्रबन्धक ।कार्मिक।, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
13- अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
14- समस्त संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
15- समस्त अधिकारी, शक्ति भवन, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।

हस्ताक्षर/04.02.2000
।भुवन चन्द्र पाण्डेय।
निदेशक ।कार्मिक एवं प्रबन्धन।

सं0- 19-।।।जं0शा0-08/पाकालि/2000, दिनांक-04.02.2000

प्रतिलिपि सूचना एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के अन्तर्गत निम्न अधिकारियों को भी प्रेषित:-

1- मुख्यालय, शक्ति भवन में समस्त अधिकारी/निजी सचिव ।
2- क्षेत्रीय इकाइयों के समस्त अधीक्षण अभियन्ता ।अव-उप महाप्रबन्धक।/अधिशासी अभियन्ता ।
3- लेखा-स्कन्ध के समस्त अधिकारी ।

।अरविन्द कुमार गोयल।
संयुक्त सचिव

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
कारपोरेट ऑफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 572/मा0सं0एवं0प्र0वि0/पिटकुल/पी-3 दिनांक: 30.01.2008

कार्यालय-ज्ञापन

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में सम्प्रति प्रवृत्त " उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1970 (यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली-1984 (यथासंशोधित), आदेश संख्या: 364-विनि-23/राविप-93 दिनांक 26.11.1993 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सबऑर्डिनेट इलेक्ट्रिकल एवं मैक्नीकल इंजीनियरिंग सेवा विनियमावली-1972 (यथासंशोधित) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संगत आदेशों में निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में इंगित पदों से स्तम्भ-3 में इंगित पदों पर प्रोन्नति हेतु स्तम्भ-4 में यथाविहित न्यूनतम अर्हकारी सेवावधियां (Minimum Qualifying Services) को मात्र एक बार के लिए स्तम्भ-5 में दर्शित सेवावधि के रूप में शिथिल किये जाने की एतद्द्वारा अग्रलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	पद का नाम	प्रोन्नति के पद का नाम	प्रोन्नति हेतु विहित वर्तमान न्यूनतम अर्हकारी सेवावधि	प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी शिथिलित सेवावधि
1	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	10 वर्ष	7 वर्ष, (AMIE/Degree योग्यता धारकों के लिए 6 वर्ष)
2	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	7 वर्ष	5 वर्ष
3	अधिशासी अभियन्ता	उपमहाप्रबन्धक	6 वर्ष (किन्तु सहायक अभियन्ता पद की सेवा सम्मिलित करते हुए कुल 15 वर्ष)।	4 वर्ष (किन्तु सहायक अभियन्ता पद की सेवा सम्मिलित करते हुए कुल 15 वर्ष)।
4	लेखाधिकारी	वरिष्ठ लेखाधिकारी	7 वर्ष	5वर्ष,(CA/CWA/MBA धारकों के लिए 4 वर्ष)
5	अनुभाग अधिकारी	प्रबन्धक (अनुसचिव)	5 वर्ष	3 वर्ष, (PGD (HR) धारकों के लिए 2वर्ष)
6	निजी सचिव	निजी सचिव (श्रेणी-I)	5 वर्ष	3 वर्ष
7	उपमहाप्रबन्धक	महाप्रबन्धक	4 वर्ष	3 वर्ष

1. संगत विनियमावली एवं अनुवर्ती आदेशों में जहाँ कहीं पदोन्नति हेतु पोषक पद विशेष पर की गई सेवा के अतिरिक्त कुल सेवावधि (Total Service) का भी उल्लेख हो वहाँ कुल सेवावधि सम्बन्धी शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे, उनमें कोई शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी।

क्रमशः 2/-

कारपोरेट आफिस: 7-बी लेन न0 1 वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून-248006. Corporate Office: 7-B Lane No 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No. 0135-2762472, 2762473 Fax No : 0135-2762460 2766249

2. पदोन्नति हेतु पोषक पद पर की गई सेवा में प्रदत्त शिथिलता किसी कार्मिक के सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। जो कार्मिक प्रोन्नति हेतु पोषक पद पर की गई सेवा में पूर्ववर्ती उ0प्र0रा0वि0प0 / उ0प्र0पा0का0लि0 अथवा उ0पा0का0लि0 द्वारा प्रदत्त इस प्रकृति की शिथिलता का लाभ पूर्व में किसी भी स्तर पर प्राप्त कर चुके हैं उन्हें इस शिथिलता का लाभ पुनः अनुमन्य नहीं होगा। इसके लिए उपर्युक्त शिथिलीकरण के फलस्वरूप निर्गत प्रोन्नति आदेशों में एतद्विषयक उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उपर्युक्त आदेश चयन वर्ष 2007–2008 से प्रभावी होंगे।

उपर्युक्त संदर्भित सेवा विनियमावलियों एवं अनुवर्ती संगत आदेशों के अन्य अंश यथावत प्रवृत्त रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 572 /मा0सं0एवं0प्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन नं–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (मा0सं0), उपाकालि / पिटकुल, ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन नं–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
6. प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन नं–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
7. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पिटकुल में कार्य आवश्यकता की दृष्टि से कार्य प्रभारी बनाये गये विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों की अर्हकारी सेवा में शिथलीकरण प्रदान किये जाने का प्रस्ताव :-

निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाना है कि तत्कालीन पावर कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 से पारेषण कार्य पृथक करने के उद्देश्य से शासन की अधिसूचना सं0 87/1/2004-06(3)/259/2002 दिनांक 31-05-04 द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0 का सृजन किया गया। उत्तरांचल पावर ट्रांसफर स्कीम 2004 के द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 से 730 पदों को पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के लिए स्थानान्तरित किया गया तथा इन पदों के विरुद्ध मात्र 640 कार्मिक ही तत्समय पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत थे। पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के गठन के उपरान्त 400 के0वी0 उपसंस्थान काशीपुर, 220 के0वी0 उपसंस्थान पन्तनगर, 132 के0वी0 उपसंस्थान जसपुर, 132 के0वी0 उपसंस्थान सितारगंज, 220 के0वी0 सिडकुल हरिद्वार, 220 के0वी0 उपसंस्थान रुड़की, 132 के0वी0 उपसंस्थान मंगलौर एवं 132 के0वी0 उपसंस्थान लक्सर, बिजलीघरों का निर्माण कार्य एवं ऊर्जीकरण किया गया। इसके साथ ही पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के कारपोरेट एवं परियोजना का ढांचा भी तैयार किया गया है। इस नवसृजित कारपोरेशन में पूर्व से विद्यमान विद्युत उपसंस्थानों, एवं लाईनों तथा नवनिर्मित/ऊर्जीकरण विद्युत उपसंस्थानों एवं सम्बन्धित लाईनों के परिचालन एवं अनुरक्षण को सुचारू बनायें रखने के लिए अधिकारियों की अत्यधिक कमी थी, जिसका निदान करने हेतु कार्य आवश्यकता की दृष्टि से विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों को कारपोरेशन कार्यहित में उच्च पदों का प्रभार एवं दायित्व देने हेतु कार्यप्रभारी बनाकर कारपोरेशन की कार्य व्यवस्था एवं विद्युत व्यवस्था को दक्षतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 3206/I (2)/2007-07 (3)/18/2007 दिनांक 27.12.2007 द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के स्टाफ स्ट्रक्चर की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में कार्य व्यवस्था एवं विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए अधिकारियों की कमी को दूर करने हेतु कार्य प्रभारी के रूप में उच्च पदों के कार्यदायित्वों का दक्षतापूर्वक संचालन कर रहे कार्मिकों को कार्य प्रभारी पद पर नियमित करने हेतु वांछित समय सीमा में एक बार की व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नवत शिथलीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि समय-समय पर उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 द्वारा कार्यावश्यकता की दृष्टि से वांछित लेखा संवर्ग एवं अभियन्ता संवर्ग में शिथलीकरण अनुमन्य किया गया है। **(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 2314-मा0सं0/09का0अनु0ए0/बी-1 दिनांक 02.09.2004 एवं आदेश सं0 2315-मा0सं0/09का0अनु0ए0/बी-1 दि0 02.09.204 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है)।**

क्र0 सं0	पद का नाम	प्रोन्नति के पद का नाम	प्रोन्नति हेतु विहित वर्तगान न्यूनतम अर्हकारी सेवावधि	प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी शिथिलित सेवावधि
1	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	9 वर्ष	7 वर्ष, (AMIE/Degree योग्यता धारकों के लिए [illegible] वर्ष)
2	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	7 वर्ष	

3	अधिशासी अभियन्ता	उपमहाप्रबन्धक	6 वर्ष (किन्तु सहायक अभियन्ता पद की सेवा सम्मिलित करते हुए कुल 15 वर्ष)।	4 वर्ष (किन्तु सहायक अभियन्ता पद की सेवा सम्मिलित करते हुए कुल 15 वर्ष)।
4	लेखाधिकारी	वरिष्ठ लेखाधिकारी	7 वर्ष	5वर्ष,(CA/ICWA/MBA धारकों के लिए 4 वर्ष)
5	अनुभाग अधिकारी	प्रबन्धक (अनुसचिव)	5 वर्ष	3 वर्ष, (PGD -(HR) धारकों के लिए 2वर्ष)
6	निजी सचिव	निजी सचिव (श्रेणी—I)	5 वर्ष	3 वर्ष
7	उपमहाप्रबन्धक	महाप्रबन्धक	4 वर्ष	3 वर्ष

अतः कारपोरेशन कार्य आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए चयन वर्ष 2007—2008 के लिए उपरोक्तानुसार शिथलीकरण का अनुमोदन करना समीचीन होगा।

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

MD

31.1.08

Approved

ITEM NO: 18.12 : Transfer of Shares.

The Board approved the transfer of shares as under :-

Presently Share held by		Share to be Transferred to	
Name & Designation	No of Share	Name & Designation	No of Share
Shri N. Ravi Shanker Principal Secretary	1	Shri S.K. Das Chief Secretary, GOU	1
Shri Arvind Singh Hyanki Secretary	1	Shri A.K. Jain Principal Secretary (Finance) GOU	1
Shri Sanjeev Chopra Secretary	1	Shri Shatrughan Singh Secretary (Energy), GOU	1
Dr. M.C. Joshi Additional Secretary	1	Shri C. Bhaskar Additional Secretary (Energy), GOU	1

"**RESOLVED THAT** the Company Secretary is authorized to register the transfer of shares in the Share Transfer Register as approved by the Board."

ITEM NO: 18.13 : Confirmation of Circular Resolution.

Board confirmed the resolution passed by way of Circulation:

1. To increase the Dearness Allowance from 35% to 41%.
2. Ex-Gratia for the year 2006-07.

ITEM NO: 18.14 : Supplementary item with the permission of the Chair.

A proposal (★) for relaxation in the service conditions for the employees working as an in-charge in various positions at PTCUL was placed before the Board of Directors

Sl. No.	Existing Post	Post on Promotion	Present Minimum qualifying Service condition for promotion	Minimum qualifying service condition for promotion after relaxation
1	Junior Engineer	Assistant Engineer	9 years	7 years (for AMIE/ Degree holders 6 years)
2	Assistant Engineer	Executive Engineer	7 years	5 years

★ Translated from Hindi version as placed before the Board. For any discrepancy in the interpretation the Hindi version shall prevail.

COMPANY SECRETARY PTCUL | MANAGING DIRECTOR PTCUL | CHAIRMAN PTCUL

6

3	Executive Engineer	Dy. General Manager	6 years (15 years including service of Assistant Engineer)	4 years (15 years including service of Assistant Engineer)
4	Account Officer	Senior Account Officer	7 years	5 years (CA/ICWA/ MBA holders for 4 years)
5	Section Officer	Manager	5 years	3 years (for PGD (HR) holders 2 years)
6	Personal Secretary	Personal Secretary (Gr.- I)	5 years	3 years
7	Dy. General Manager	General Manager	4 years	3 years

The Board considered and discussed in detail the supplementary agenda with regard to the relaxation in the service conditions at various positions as proposed. On detailed discussion, the Board approved the proposal with the provision that all promotions will be based on the following :

i) Objective criteria of performance and evaluation shall be laid down for promotion.
   This will take into account the minimum qualification/experience for the job, CR reports, objective performance parameters in terms of achievement of goals and efficiency and capability to take up higher positions.

ii) Pre promotion training to all the promotes shall essentially be included as a part of criteria.

iii) The criteria so defined shall be internally reviewed and will be placed at the next Board Meeting for the approval of the Board.

Deliberations of the Board on Other Matters :-

1. Framing an effective training policy and its implementation to augment the manpower resources. If needed, organizations like CPRI, PSTI & others may be consulted in this regard.
2. Processes within the organization have to be standardized and ISO certification is desired to be initiated.
3. GIS mapping of assets, including towers.
4. Building(s) of the company shall be standardized particularly with respect to drawings, paint and logo. All new buildings to be constructed shall be ECBC-compliant. Buildings shall be designed to qualify to be a green building, which will take care of the following :
   a) Maximum natural light.

COMPANY SECRETARY PTCUL | MANAGING DIRECTOR PTCUL | CHAIRMAN PTCUL

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 817/मा0सं0 एवं प्र0अनु0/पिटकुल/आर–1 दिनाँकः 21.02.2008

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपमहाप्रबन्धक (वित्त/क0स0)
एवं लोक सूचना अधिकारी
पिटकुल,
देहरादून।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 135/क0स0/पिटकुल/आर. टी. आई./सी– 25 दिनांक 02.02.08 के सम्बन्ध में आपको बिन्दुवार निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करानी हैः–

1. पिटकुल में अधिकारियों की कमी के कारण कार्य आवश्यकता की दृष्टि से कार्यों को गति प्रदान एवं विद्युत व्यवस्था को सूचारू बनाने रखने के लिए एक अन्तरिम व्यवस्था की गई है जिसके लिए बोर्ड नोट/प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कार्मिक को निम्न पद पर कार्यरत रहते हुए उच्च पद का कार्यभार बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के कारपोरेशन कार्यहित में सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। इस बिषय में कोई रेग्यूलेशन (Regulation) उपलब्ध नहीं है।
2. पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में परिषद मुख्यालय पर सचिवालय संवर्ग है, जिसमें अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव, अनुसचिव एवं अनुभाग अधिकारी के पद होते थे। चूंकि पिटकुल का गठन कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है इसलिए पिटकुल के निदेशक मण्डल द्वारा पिटकुल के लिए एक कारपोरेट स्ट्रक्चर का अनुमोदन किया गया जिसे शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। उसकी एक छायाप्रति संगठन को उपलब्ध करायी जा चुकी है। इस कारपोरेट स्ट्रक्चर में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में लागू सचिवालय संवर्ग की समरूपता में महाप्रबन्धक समकक्ष अपर सचिव, उपमहाप्रबन्धक समकक्ष संयुक्त सचिव, वरिष्ठ प्रबन्धक समकक्ष उपसचिव, प्रबन्धक समकक्ष अनुसचिव तथा अनुभाग अधिकारी के पद रखे गये हैं। वर्तमान में पिटकुल की अपनी अलग से सेवाविनियमावली नहीं बनी है और इस समय उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 तथा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की सेवाविनियमावलियां/आदेश ही पिटकुल में लागू हैं। इस विषय में इन पदों पर पदोन्नति व चयन प्रक्रिया पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 364–विनि–23/राविप–93–10 रेगु/80 दिनांक 26.11.1993 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुरूप की जायेगी (छायाप्रति संलग्न)। वर्तमान में अन्य पदों पर कार्य आवश्यकता की दृष्टि से दिये गये कार्यप्रभार की भाँति प्रबन्धक (मा0सं0) का कार्यप्रभार दिया गया है।

क्रमशः 2

कारपोरेट आफिसः 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B. Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-27

3. पिटकुल में अधिकारियों की कमी के कारण कार्य आवश्यकता की दृष्टि से कार्यों को गति प्रदान करने एवं विद्युत व्यवस्था को सूचारू बनाने रखने के लिए एक अन्तरिम व्यवस्था की गई है जिसके लिए बोर्ड नोट/प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कार्मिक को निम्न पद पर कार्यरत रहते हुए उच्च पद का कार्यभार बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के कारपोरेशन कार्यहित में सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। यही व्यवस्था उपाकालि में भी लागू है। उदाहरण के तौर पर उपाकालि में नगरीय विद्युत परीक्षण खण्ड, देहरादून में समय–समय पर कार्यालय सहायक–द्वितीय को सहायक लेखाकर/लेखाकार का कार्यप्रभार दिया गया है। इसी प्रकार अन्य कार्यालयों में निम्न पद पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवश्यकता की दृष्टि से कार्यप्रभार दिया जाता रहा है।

4. जैसा कि पूर्व में इस कार्यालय पत्रांक 2083/प्र0नि0/आर–1. दिनांक 19.10.07 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना द्वारा बिन्दु–08 में सूचित किया जा चुका है कि उपाकालि में प्रचलित नियमावलियां पिटकुल में भी प्रचलित हैं, जिनकी सूची संलग्न है। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 से हटकर पिटकुल द्वारा अपनी स्थानान्तरण नियमावली बनायी है जिसकी प्रति सभी संगठनों को उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा एक प्रति इस पत्र के साथ भी संलग्न की जा रही है। कामन कैडर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की विज्ञप्ति सं0 263–विनि–23/राविप–95–4 विनि/86 दिनांक 09.08.1995 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है, जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

इसके साथ ही आपका ध्यान उत्तम व्यवहार संस्तुतियां के बिन्दु–46 में दिये गये प्रावधानों की ओर आकर्षित करना है जो निम्न प्रकार से हैः–

" नागरिक लोक प्राधिकारी से यह अपेक्षा न करें कि वे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखे गये अभिलेखों का विश्लेषण या अनुसंधान कर उसके द्वारा वांछित सूचना को प्रश्नोत्तरी के रूप में उपलब्ध करायेगा क्योंकि इस प्रकार का कोई विश्लेषण यदि अभिलेखों में पहले से उपलब्ध नहीं है तो ऐसा कोई विश्लेषण एक नई सूचना बन जाती है, जो कि पूर्व में उपलब्ध नहीं थी, तथा यह अधिनियम के प्राविधानों से आकर्षित नहीं होती।"

संलग्नक – यथोपरि। (86 पृष्ठ)

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिसः 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

56

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

संख्या- 363-विनि-23/राविप-93-3विनि/93 दिनांक : नवम्बर 26,1993

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सचिवालय संवर्ग के निजी सचिवों की सेवा विनियमावली को परिषद जब तक अन्तिम रूप प्रदान नहीं कर देते तब तक निजी सचिव (श्रेणी-2), निजी सचिव (श्रेणी-1), निजी सचिव (विशेष श्रेणी) एवं प्रमुख निजी सचिव के चयन की पात्रता का क्षेत्र, चयन समिति का गठन एवं पदोन्नति का मापदण्ड निम्नवत् होगा:-

क्र0 सं0	पदनाम	पात्रता का क्षेत्र	चयन समिति का गठन	पदोन्नति का मापदण्ड
1	2	3	4	5
1.	निजी सचिव (श्रेणी-2)	उन स्थायी वैयक्तिक सहायकों में से जिन्होंने उक्त पद पर कम से कम 9 वर्ष सेवा कर ली हो।	1. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद 2. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद द्वारा नामित परिषद के दो पूर्णकालिक सदस्य	चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।
2.	निजी सचिव (श्रेणी-1)	उन स्थायी निजी सचिवों (श्रेणी-2) में से जिन्होंने उक्त पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा कर ली हो।	1. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद 2. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद द्वारा नामित परिषद के दो पूर्णकालिक सदस्य	चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।
3.	निजी सचिव (विशेष श्रेणी)	स्थायी निजी सचिवों (श्रेणी-1) में से।	1. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद 2. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद द्वारा नामित परिषद के दो पूर्णकालिक सदस्य	चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।
4.	प्रमुख निजी सचिव	स्थायी निजी सचिवों (विशेष श्रेणी) में से।	1. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद 2. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद द्वारा नामित परिषद के दो पूर्णकालिक सदस्य	चयन का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।

भर्ती के वर्ष का तात्पर्य पहली जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच की अवधि से होगा ।

सुप्रशीलाटन

परिषद की आज्ञा से,

मारकण्डेय सिंह
सचिव

50

- 2 -

सं0- 363-(1)/विनि-23/राविप-93-3 विनि/93 तद्दिनांक : 26.11.93

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर सचिव (प्रथम), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव (स0प्र0), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. उप-सचिव (सचिवालय प्रशासन), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. परिषद सचिवालय संवर्ग के समस्त निजी सचिव/अनुभाग।
5. बैठक सहायक

आज्ञा से,

(एस0पी0 श्रीवास्तव)
उप-सचिव